

पंचायती राज संस्थाओं की वित्त व्यवस्था

प्रलिस के लिये:

[भारतीय रज़िर्व बैंक](#), [पंचायती राज संस्थान](#), [राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना](#)

मेन्स के लिये:

भारत में पंचायतों का कार्य प्रणाली, पंचायती राज संस्थाएँ, स्थानीय स्वशासन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 'पंचायती राज संस्थानों की वित्त व्यवस्था' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, यह रिपोर्ट भारत के [पंचायती राज संस्थानों](#) की वित्तीय कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बडि क्या हैं?

- **राजस्व संरचना:**
 - पंचायतों को अपने राजस्व का केवल 1% करों के माध्यम से प्राप्त होता है।
 - उनका अधिकांश राजस्व का स्रोत केंद्र और राज्यों द्वारा प्रदान किये गए अनुदान हैं।
 - डेटा के अनुसार राजस्व का 80% केंद्र सरकार के अनुदान और 15% राज्य सरकार के अनुदान से प्राप्त होता है।
- **राजस्व आँकड़े:**
 - वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायतों ने कुल 35,354 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया।
 - उन्होंने अपने कर राजस्व से केवल 737 करोड़ रुपए अर्जति किये। पंचायतें ये राजस्व पेशे और व्यापार पर कर, भूमि राजस्व, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण शुल्क, संपत्तिपर कर तथा सेवा कर के माध्यम से अर्जति करती हैं।
 - नरिदषिट वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-कर राजस्व 1,494 करोड़ रुपए का था, इनका मुख्य स्रोत ब्याज भुगतान और पंचायती राज कार्यक्रम थे।
 - गौरतलब है कि पंचायतों को केंद्र सरकार से 24,699 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों से 8,148 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ।
- **प्रतिपंचायत राजस्व:**
 - औसतन प्रत्येक पंचायत ने अपने कर राजस्व से केवल 21,000 रुपए और गैर-कर राजस्व से 73,000 रुपए अर्जति किये।
 - इसके विपरीत, केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान में प्रतिपंचायत को लगभग 17 लाख रुपए प्रदान किये गए तथा राज्य सरकार ने प्रतिपंचायत को 3.25 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की।
- **राज्य राजस्व हसिसेदारी और अंतर-राज्यीय असमानताएँ:**
 - अपने-अपने राज्य के राजस्व में पंचायतों की हसिसेदारी वर्तमान समय भी न्यूनतम ही है।
 - उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के राजस्व का केवल 0.1% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आँकड़ा सभी राज्यों में सबसे अधिक, 2.5% है।
 - प्रतिपंचायत अर्जति औसत राजस्व के संबंध में राज्यों में काफी भिन्नताएँ हैं।
 - 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रतिपंचायत के औसत राजस्व के साथ केरल तथा पश्चिम बंगाल क्रमशः सबसे अग्रणी हैं।
 - असम, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, सिकिम और तमलिनाडु में प्रतिपंचायत राजस्व 30 लाख रुपए से अधिक था।
 - प्रतिपंचायत 6 लाख रुपए से भी कम राजस्व के साथ आंध्र प्रदेश, हरयाणा, मज़ोरम, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों का औसत राजस्व काफी कम है।
- **RBI की सफारिशें:**
 - RBI अधिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय नेताओं व अधिकारियों के सशक्तीकरण की सफारिश की है। यह पंचायती राज की वित्तीय स्वायत्तता एवं स्थायित्व में वृद्धि करने में मदद करता है।
 - इस रिपोर्ट के अनुसार PRI पारदर्शी बजटिंग, राजकोषीय अनुशासन, संवर्द्धन प्राथमकता में सामुदायिक भागीदारी, कर्मचारियों

- के प्रशिक्षण और नगरानी व मूल्यांकन जैसे तत्त्वों को अंगीकृत कर उपलब्ध संसाधन उपयोग में वृद्धि कर सकते हैं ।
- इसके अतिरिक्त, इसमें **PRI की कार्यप्रणाली के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने** और प्रभावी स्थानीय शासन के लिये जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।



Chart 1 | The chart shows the revenue receipts of panchayats in 2022-23. Figures in %




Chart 2 | The chart shows the average revenue per panchayat in 2022-23. Figures in ₹ thousand




Chart 3 | The chart shows the revenue per panchayat in percentage terms in 2022-23.




Chart 4 | The chart shows the average revenue per panchayat across States in 2022-23. Figures in ₹ lakh.





Chart 5 | The chart shows the revenue of panchayats as a share of the State's own revenue in 2022-2023. Figures in %



पंचायतों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीयन की समस्याओं का कारण क्या है?

■ सीमिति कराधान:

- उपकर और करारोपण के संबंध में PRI की शक्तियाँ सीमिति हैं। राज्य सरकार परदान की जाने वाली धनराशि बहुत कम होने के साथ ही, जनता के बीच लोकप्रियता खोने के भय से आवश्यक धन जुटाने के वरिद्ध होते हैं।

■ कम कषमता और उपयोग:

- PRI के पास शुल्क, टोल, करिया आर्द जैसे वभिन्न स्रोतों से अपना राजस्व उत्पन्न करने की कषमता और कौशल की कमी एक अन्य समस्या मानी जा सकती है।
- खराब नथिजन, अनुवीक्षण और जवाबदेही तंत्र के कारण उन्हें धन के कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी प्रयोग को लेकर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

■ राजकोषीय वकिंदरीकरण:

- सरकार के उच्च स्तर द्वारा पंचायतों को वतितीय शक्तियों और कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से संसाधन जुटाने की उनकी कषमता में बाधा उत्पन्न करता है। सीमिति राजकोषीय वकिंदरीकरण स्थानीय शासन तथा सामुदायिक सशक्तीकरण को कमजोर बनाता है।

पंचायतों की वतितीय नरिभरता के परणाम क्या हैं?

बाहरी स्रोतों से वतितीयन पर नरिभरता के कारण सरकार के उच्च स्तरों का हस्तकषेप अधिक होता है।

राज्य सरकारों द्वारा धन जारी करने में होने वाले वलिंब के कारण पंचायत नजिी धन का उपयोग करने के लथि मज़बूर होते हैं।

कुछ कषेत्रों ने प्रमुख योजनाओं के तहत धन नहीं मलिन, जसिसे उनके कामकाज पर असर पड़ा है, की भी सूचना दी है।

मार्च, 2023 में ग्रामीण वकिस और पंचायती राज पर स्थायी समतिि ने कहा कि 34 में से 19 राज्य/केंद्रशासति प्रदेशों को वति वरष 2023 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभयान योजना के तहत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

पंचायती राज संस्थान (PRI) क्या है?

- 73वें संवैधानिक संशोधन अधनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और एक समान संरचना (PRI के तीन स्तर), चुनाव, अनुसूचति जात, अनुसूचति जनजात तथा महिलाओं के लथि सीटों का आरक्षण व नधि के अंतरण एवं PRI के कार्य और पदाधिकारी की एक प्रणाली स्थापति की गई।
 - पंचायतें तीन स्तरों पर कार्य करती हैं: ग्राम सभा (गाँव अथवा छोटे गाँवों का समूह), पंचायत समतियां (ब्लॉक परषिद) और ज़िला परषिद (ज़िला स्तर पर)।
- भारत के संवैधानिक अनुच्छेद 243G राज्य वधिानसभाओं को पंचायतों को स्व-सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है।
- पंचायतों के वतितीय सशक्तीकरण के लथि भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 280(3)(bb) और अनुच्छेद 243-I नमिनलखिति प्रावधान करता है:
 - अनुच्छेद 243H राज्य वधिानमंडलों को करों, शुल्कों, टोल और शुल्क लगाने, एकत्र करने के लथि पंचायतों को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। यह उन्हें शर्तों व सीमाओं के अधीन, इन करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों को पंचायतों को सौंपने की भी अनुमति भी प्रदान करता है।
 - अनुच्छेद 280(3) (bb) के अनुसार यह केंद्रीय वति आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लथि राज्य की समेकति नधि को बढ़ाने के लथि राज्य के वति आयोग द्वारा की गई सफिरशियों के आधार पर आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सफिरशि करे।
 - अनुच्छेद 243-I के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पाँच वरष में राज्य वति आयोग के गठन का आदेश देता है। इन आयोगों का कार्य पंचायतों की वतितीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्यपाल को नमिनलखिति वषियों के संबंध में सलाह देना है:
 - राज्य और पंचायतों के बीच करों, कर्तव्यों, टोल तथा शुल्क के वतिरण का मार्गदर्शन करने वाले सदिधांत, जसिमें उनके संबंधति हसिसेदारी व पंचायतों के वभिन्न स्तरों के बीच आवंटन शामिल हैं।
 - पंचायतों की वतितीय स्थिति में सुधार के उपाय।
 - राज्यपाल द्वारा संदर्भति कोई अन्य वति संबंधी मामले।
- पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधति सभी मामलों की देखरेख करता है। इसकी स्थापना मई 2004 में की गई थी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न1. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है (2017)

(a) संघवाद का

- (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
- (c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? (2015)

1. विकास में जन-भागीदारी
2. राजनीतिक जवाबदेही
3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
4. वित्तीय संग्रहण (फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

?????:

प्रश्न 1. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और कनि स्रोतों को खोज सकती हैं? (2018)

प्रश्न 2. आपकी राय में भारत में शक्तिके विकेंद्रीकरण ने ज़मीनी-स्तर पर शासन परदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? (2022)

प्रश्न 3. सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में 'पंचायतें' और 'समितियाँ' मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएँ बनी रही हैं न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिये। (2015)